समय सीमा में निर्माण कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित करें : कलेक्टर

कलेक्टर की अध्यक्षता में निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित

नवभारत न्यूज
मुरैना, 5 फरवरी। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने निर्माण विभागों से संबंधित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि समय-सीमा वाले निर्माण कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर भूमि संबंधी समस्याएं हैं, उनका निराकरण संबंधित एसडीएम से समन्वय स्थापित कर कराया जाए।

कलेक्टर ने कहा कि जो ठेकेदार निर्माण कार्यों में लापरवाही बरत रहे हैं अथवा कार्य में अनावश्यक विलंब कर रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाए। उन्होंने नए प्रपोजल शीघ्र प्रारंभ करने, डीपीआर में आवश्यक संशोधन कराने तथा सर्किट हाउस का प्रस्तावित प्लान शासन को भेजने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी कमलेश कुमार भार्गव सहित संबंधित विभागों के कार्यपालन यंत्री एवं अधीनस्थ अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

ईआरईएस विभाग की समीक्षा के दौरान कार्यपालन यंत्री मनीष सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा कुल 19 कार्य संचालित किए जा रहे हैं। इस पर कलेक्टर ने अप्रारंभ कार्यों को शीघ्र प्रारंभ कर समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात हाउसिंग बोर्ड एवं ब्रिज कॉर्पोरेशन की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने कहा कि जो कार्य भूमि संबंधी मुद्दों के कारण प्रारंभ नहीं हो सके हैं, उन्हें संबंधित अधिकारी एसडीएम से समन्वय स्थापित कर निराकृत कराएं तथा कार्य प्रारंभ करें।

इसके साथ ही एनएचएआई एवं पीआईयू विभाग द्वारा संचालित निर्माण कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान कई कार्यों में बाधा उत्पन्न होने की जानकारी संज्ञान में आने पर कलेक्टर ने शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

पीडब्ल्यूडी विभाग की समीक्षा में कार्यपालन यंत्री श्री अनवेश प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग के अंतर्गत 127 कार्य संचालित हैं, जिनकी कुल लंबाई 87 किलोमीटर है तथा इनकी स्वीकृत लागत 454 करोड़ रुपये है। सभी कार्य प्रगतिरत हैं। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी कार्यों को शीघ्र पूर्ण कराया जाए।सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने निर्देश दिए कि चंबल नहर का पानी अंतिम छोर (टेल) तक पहुंचे, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही विभाग के अंतर्गत संचालित अन्य कार्यों की भी समीक्षा की गई।

कलेक्टर ने कहा कि अगली बैठक में सभी विभागों की प्रगति स्पष्ट रूप से परिलक्षित होनी चाहिए। इसके साथ ही कलेक्टर द्वारा जिला विकास एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही के आधार पर चल रहे निर्माण कार्यों के संबंध में भी विस्तार से जानकारी ली गई।

जिला मजिस्ट्रेट ने एक आदतन अपराधी को किया जिलाबदर

नवभारत न्यूज
मुरैना, 5 फरवरी। जिला मजिस्ट्रेट लोकेश कुमार जांगिड़ ने पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ के प्रस्ताव पर जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5 एवं 6 के अंतर्गत एक आदतन अपराधी को जिला बदर करने के आदेश पारित किए हैं।

उक्त आदतन अपराधी के विरुद्ध जिले के विभिन्न थानों में अनेक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं। जिला बदर किए गए अपराधी में थाना माताबसैया अंतर्गत ग्राम किशनपुर निवासी 27 वर्षीय मनीष पुत्र रामप्रकाश कुशवाह शामिल है।

आदतन अपराधी की आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने तथा लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट द्वारा आदेशित किया गया है कि संबंधित अपराधी जिला मुरैना एवं इसके समीपवर्ती जिलों ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमाओं से 01 वर्ष की अवधि के लिए बाहर रहेगा। आदेश अवधि में बिना पूर्व अनुमति के उक्त जिलों की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा।

नगरा पुलिस ने पकड़ी अवैध पत्थरों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली, आरोपी हिरासत में

नवभारत न्यूज
मुरैना, 5 फरवरी। पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ (भापुसे) द्वारा जिले में रेत एवं पत्थर के अवैध रूप से परिवहन, उत्खनन एवं भण्डारण करने वालों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु समस्त थाना प्रभारीगण को निर्देशित किया गया, जिसके तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक मुरैना सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के मार्गदर्शन एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) अम्बाह रवि सिंह भदौरिया के निर्देशन में थाना नगरा पुलिस द्वारा अवैध पत्थर का परिवहन करते हुए 01 आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 टैक्टर-ट्रॉली कीमती करीबन 06 लाख की जब्त की गई।

दिनांक 05.02.26 को उनि सुखेदव सिह चौहान थाना प्रभारी नगरा हमराह फोर्स द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर चैकिंग लगाकर ग्राम ढका कीचौल मोड़ पर से अवैध रूप से पत्थर का परिवहन करते हुए 01 आरोपी को मय 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली के पकडकर चैक किया गया तो उक्त टैक्टर की ट्रॉली में अवैध पत्थर पाया गया, जिसके संबंध में चालक से वैध दस्तावेज चाहे गए तो न होना बताया गया, तदोपरांत मौके से उक्त 01 लाल रंग का महिन्द्रा टैक्टर-ट्रॉली कीमती करीबन 06 लाख को जब्त कर आरोपी को गिफ्तार किया गया। बाद थाना वापसी पर आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 07 / 2026 धारा 303 (2), 317 (5) बीएनएस 4,21 खान एवं खनिज अधि., 18 (1) म.प्र. खनिज (अबैध परिहवन तथा भण्डारण का निवारण) का कायम कर विवेचना में लिया गया।

आज विद्युत प्रवाह अवरुद्ध रहेगा

मुरैना/पोरसा। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के एई इंद्रेश्वर सिंह ने हमारे प्रतिनिधि को बताया कि आज 06 फरवरी, शुक्रवार को 11 केव्ही सिटी नं. 2 फीडर पर संधारण कार्य होने के कारण फीडर की विद्युत सप्लाई सुबह 10 :00 बजे से शाम 4 :00 बजे तक बंद रहेगी, जिसमें निम्न क्षेत्र की विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। जैसे- किर्रायांच रोड, भिंड रोड, गोकुल पुरा, दुर्ग का पुरा, धनेटा रोड, धनेटा गावं, पुठा, गांधीनगर आदि की विद्युत सप्लाई बाधित रहेगी। कार्य के अनुसार समय को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

बोर्ड परीक्षाओं के लिए उड़नदस्ता गठित

नवभारत न्यूज
मुरैना, 5 फरवरी। माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा बोर्ड परीक्षाएं 10 फरवरी से 7 मार्च 2026 तक आयोजित की जा रही हैं। परीक्षाएं प्रात: 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक मुरैना जिले के 76 परीक्षा केन्द्रों पर संपन्न होंगी। परीक्षाओं को सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराने के लिए कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ ने विकासखण्ड स्तर पर निरीक्षण दल (उड़नदस्ता) गठित किए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी बी.एस. इंदौलिया को संपूर्ण जिले के लिए नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए सहायक संचालक शिक्षा श्रीमती वर्षा कोली, योजना अधिकारी जितेन्द्र परमार एवं एमपीसी श्री महेश मावई को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार जिला परियोजना समन्वयक हरीश तिवारी को भी संपूर्ण जिले की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनके सहयोग के लिए एपीसी प्रियाशरण दीक्षित एवं हरेन्द्र सिंह तोमर को दायित्व सौंपा गया है।

पोरसा के लिए निरीक्षण दल में तहसीलदार नवीन भारद्वाज को नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए खण्ड शिक्षा अधिकारी नरेन्द्र तोमर एवं एडीईओ जनपद शिवकुमार शर्मा को नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार नायब तहसीलदार पोरसा कमलकिशोर शर्मा को दल प्रभारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में शैलेन्द्र सिंह तोमर एवं मोहर सिंह को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार अंबाह प्रदीप कुमार वर्मा को दल प्रभारी तथा मनोज तोमर एवं शक्ति चतुर्वेदी को सहायक के रूप में नियुक्त किया गया है।

अंबाह के लिए निरीक्षण दल में तहसीलदार अम्बाह भारतेन्दु सिद्धार्थ को नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए श्रीनिवास सिंह गुर्जर एवं हेमंत सिंह गुर्जर को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार राजेन्द्र मौर्य को दल प्रभारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में रामअवतार सिकरवार एवं चंद्र माहौर को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार हरविलास बिसारिया को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में नागेन्द्र शर्मा एवं हर्ष भदौरिया को नियुक्त किया गया है।

मुरैना के लिए निरीक्षण दल में तहसीलदार मुरैना सीताराम वर्मा को नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए श्याम तोमर एवं करतार सिंह कटोरिया को नियुक्त किया गया है। तहसीलदार विश्राम बघेल को दल प्रभारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में शिवराज शर्मा एवं मुकेश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार आनंद यादव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में हरेन्द्र सिंह तोमर एवं भोलाराम जाटव को नियुक्त किया गया है।

जौरा के लिए निरीक्षण दल में तहसीलदार जौरा सुश्री कल्पना कुशवाह को नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए मधु मंगल एवं अंशुमन शर्मा को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार श्रीमती ज्योति लाक्षाकार को दल प्रभारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में राजीव सिंह जादौन एवं रमेश सोलंकी को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार सुश्री रेखा कुशवाह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में ताहिर खान एवं अनिल शेटी को नियुक्त किया गया है।

पहाड़गढ़ के लिए निरीक्षण दल में डिप्टी कलेक्टर उमेश अवस्थी को नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए रामअवतार सिकरवार एवं मुकेश गुर्जर को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार प्रमोद तोमर को दल प्रभारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में वीरेन्द्र सिंह धाकड़ एवं अभिषेक साहू को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार श्यामसुंदर सिंह को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में राजीव कुमार एवं सचिन वैष्णव को नियुक्त किया गया है।

कैलारस के लिए निरीक्षण दल में तहसीलदार नरेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए सहायक संचालक सुश्री प्रिया सिंह एवं काशीराम शाक्य को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार कैलारस सुश्री दीप्ती खरे को दल प्रभारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में मुकेश शर्मा एवं रामचरण निवोरिया को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार बानमौर सुश्री वंदना यादव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में जयवीर सिंह जादौन एवं कालीचरण त्यागी को नियुक्त किया गया है।

सबलगढ़ के लिए निरीक्षण दल में तहसीलदार आशीष यशवाल को नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग के लिए पी.एल. डंडोतिया एवं गंगाराम जाटव को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार रवीश भदौरिया को दल प्रभारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में मानिक चंद्र धाकड़ एवं रामअवतार बौद्ध को नियुक्त किया गया है। नायब तहसीलदार सौमित्र शर्मा को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। सहायक के रूप में धर्मेन्द्र सिंह जादौन एवं रामप्रकाश धाकड़ को नियुक्त किया गया है।

नकल रोकने की जाए यशोचित कार्रवाई

कलेक्टर ने बताया कि शासन एवं मण्डल द्वारा जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए नकल रोकने हेतु यथोचित कार्यवाही की जाए। प्रत्येक दल अपने संबंधित विकासखण्ड अथवा जिले में निर्धारित परीक्षा केन्द्रों में से प्रतिदिन कम से कम चार परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण करेगा। किसी भी परीक्षा केन्द्र पर सामूहिक नकल अथवा अन्य अव्यवस्था पाए जाने की स्थिति में तत्काल जिला कलेक्टर एवं सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को अवगत कराया जाएगा। परीक्षा केन्द्र पर नकल प्रकरण पाए जाने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भरवाई जाएगी। प्रत्येक दल द्वारा परीक्षा तिथियों में परीक्षा समाप्ति के उपरांत निरीक्षण संबंधी समस्त जानकारियां एप पर अपलोड की जाएंगी।

गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने दबोचा

नवभारत न्यूज
मुरैना, 5 फरवरी। दिनांक 03.02.26 को फरियादी जुगनू उर्फ सुन्दरलाल पुत्र दर्शनलाल माहौर थाना पोरसा पर रिपोर्ट की गई कि आज शाम करीबन 05.30 बजे मैं पोरसा से मजदूरी करके मोटरसाइकिल से घर जा रहा था जैसे ही मैंने घर के पास मोटरसाइकिल रोकी, तभी संदीप तोमर अपनी मोटरसायकिल से मेरे पास आया और मेरी मारपीट कर जाति सूचक गाली-गलौच करने लगा एवं फायरिंग करते हुए वहां से भाग गया। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना पोरसा पर अपराध क्रमांक 27 / 26 धारा 125,115 (2), 351 (2), 296 (बी) बीएनएस, 3 (1) द, 3 (1)ध, 3 (2) व्हीए का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ (भापुसे) द्वारा घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण में फरारशुदा आरोपी की पतारसी एवं गिरफ्तारी हेतु थाना स्तर पर टीम गठित की गई एवं थाना प्रभारी पोरसा को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उक्त निर्देशों के तारतम्य में अति. पुलिस अधीक्षक मुरैना श्री सुरेन्द्र पाल सिंह डावर के निर्देशन एवं एसडीओपी अम्बाह रवि भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना स्तर पर गठित पुलिस टीम द्वारा घटना स्थल के आस-पास चैक किया गया एवं मुखबिर तंत्र सक्रिय किया गया। पुलिस के सतत् प्रयासों एवं कड़ी मेहनत के फलस्वरूप दिनांक 05.02.2026 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना पोरसा पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 27 / 26 में वांछित आरोपी संदीप तोमर को ग्राम गोकुल का पुरा से गिरफ्तार कर आरोपीगण के कब्जे से घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटर साइकिल एवं 315 बोर का अवैध देशी कट्टा मय जिंदा राउण्ड के जब्त किया गया एवं प्रकरण में धारा 25, 27 आर्म्स एक्ट का इजाफा कर गिरफ्तारशुदा आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल दाखिल किया गया।

जिला प्रशासन ने की अवैध रेत उत्खनन के विरुद्ध संयुक्त कार्यवाही

लगातार तीसरे दिन रेत उत्खनन के विरुद्ध संयुक्त अभियान संचालित

नवभारत न्यूज
मुरैना, 5 फरवरी। जिला प्रशासन द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध निरंतर, सघन एवं प्रभावी संयुक्त कार्यवाही की गई। जिसमें चंबल राजघाट और भानपुर में गुरूवार 5 फरवरी को वन विभाग, पुलिस विभाग, राजस्व विभाग एवं खनिज विभाग की संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा कार्यवाही करते हुए लगभग 19,000 ट्रॉली अवैध चंबल रेत का विनिष्टिकरण किया गया। विनिष्टिकृत रेत का अनुमानित मूल्य 3 करोड़ 80 लाख रुपये बताया गया है।

जिलाधीश लोकेश कुमार जांगिड़ द्वारा अवैध रेत उत्खनन को लेकर जिला टास्क फोर्स की बैठक में सख्त निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु संयुक्त टास्क फोर्स द्वारा निरंतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। अभियान के दौरान कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था हेतु पुलिस बल की प्रभावी तैनाती रही। जिला प्रशासन द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह संयुक्त कार्यवाही आगे भी सतत रूप से जारी रहेगी। रेत विनिष्टिकरण की प्रक्रिया में 20 जेसीबी और 8 लोडरों का उपयोग किया गया। कार्यवाही के दौरान वनमंडलाधिकारी हरिशचंद्र बघेल के नेतृत्व में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र डाबर, एसडीएम बीएस कुशवाह, जिला खनिज अधिकारी सुखदेव निर्मल, पुलिस लाइन के आरआई, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य के एसडीओ सहित संबंधित राजस्व अमला उपस्थित रहा।

यूजीसी के विरोध में पूर्णत : सफल रहा मुरैना बंद

नवभारत न्यूज
मुरैना, 5 फरवरी। यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज ने गुरुवार को मुरैना बंद का आह्वान किया, जिसका असर शहरभर में देखने को मिला। सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक मुरैना शहर के सभी प्रमुख बाजार पूरी तरह बंद रहे। शादी-विवाह के सीजन को देखते हुए प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुई सहमति के बाद दोपहर 2 बजे से बाजार खोल दिए गए।

यूजीसी कानून के विरोध में सवर्ण समाज की ओर से मुरैना शहर का बाजार बंद कराया गया। सदर बाजार, हनुमान चौराहा, मिर्च बजरिया, मार्कण्डेश्वर बाजार, एमएस रोड, सिकरवारी बाजार, तेलीपाड़ा और नाला नंबर एक, बैरियर इलाका, शंकर बाजार समेत सभी प्रमुख बाजार सुबह से ही बंद रहे। यहां तक कि चाय, नाश्ते वालों की दुकानें भी नहीं खुलीं। मुरैना बंद पूरी तरह सफल रहा।

बंद के दौरान व्यापारियों ने भी स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद रखे। व्यापारियों का कहना था कि यह बंद किसी दबाव में नहीं, बल्कि आपसी सहमति और समाजिक समर्थन के तहत रखा गया। बुधवार को सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के बीच बैठक हुई थी। इसमें शादी-विवाह का सीजन होने के कारण बाजार बंद को सीमित समय के लिए रखने पर सहमति बनी थी। इसी के तहत बंद सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक रखा गया।

प्रशासन और आंदोलनकारियों के बीच हुए समझौते के अनुसार दोपहर 2 बजे के बाद शहर के बाजार दोबारा खुल गए। इसके बाद सामान्य व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गईं। यूजीसी कानून को लेकर संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। शहर के प्रमुख चौराहों और बाजारों में पुलिस बल तैनात किया गया।

आयोजकों ने सभी का आभार व्यक्त किया

सवर्ण समाज द्वारा मुरैना बंद में सहयोग करने वाले सभी लोगों का आभार व्यक्त किया गया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने जिस तरह से हमें सहयोग दिया इसके लिए हम सभी हृदय से आभारी हैं। जहाँ आप लोगों को हमारी जरूरत होगी हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे।

हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना में मृतक की पत्नी को 2 लाख की सहायता स्वीकृत

नवभारत न्यूज
मुरैना, 5 फरवरी। भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेशानुसार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 तथा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत संशोधित हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना पीड़ित मुआवजा (सोलेशियम) योजना, 1989 के अंतर्गत मोटर दुर्घटना में मृत्यु होने पर 2 लाख रुपये तथा गंभीर रूप से घायल होने पर 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान किए जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधानों के अंतर्गत तहसीलदार, अंबाह द्वारा प्रकरण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 9 मार्च 2024 को दुर्गा वाटिका के पास, जग्गा चौराहा क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन द्वारा मृतक अमित वर्मा, पुत्र ओमप्रकाश वर्मा को टक्कर मार दी गई थी। घटना के संबंध में अपराध क्रमांक पंजीबद्ध कर पुलिस द्वारा खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।पुलिस खात्मा रिपोर्ट के आधार पर हिट एण्ड रन मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृतक के वैध वारिस, पत्नी श्रीमती नंदी वर्मा, निवासी जग्गा चौराहा, अंबाह को 2 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं : न्यायाधीश चौहान

नवभारत न्यूज
सबलगढ़, 5 फरवरी। अजय कुमार चौहान द्वितीय जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति सबलगढ़ की अध्यक्षता में सांदीपनि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सबलगढ़ में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाएं एवं उनके संरक्षण के लिए विधिक सहायता योजना) के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस एक्ट का उद्देश्य अधिक से अधिक संख्या में अपराधियों को सजा देना नहीं बल्कि सामाजिक रूप से बच्चों में व्याप्त असुरक्षा के भय को समाप्त कर समाज में उनको एक सुरक्षात्मक वातावरण प्रदान करना है साथ ही बताया कि बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध को देखने वाले व्यक्ति द्वारा इसकी जानकारी उचित फोरम पर न देने पर उस व्यक्ति के लिए सजा का प्रावधान होने के साथ-साथ बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध की एफआईआर दर्ज न करने पर संबंधित अधिकारी को भी सजा का प्रावधान है माननीय महोदय के द्वारा शास्त्रों में वर्णित श्लोक यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफला क्रिया: का उदाहरण देते हुए कहा कि जहां स्त्रियों की पूजा अर्थात सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं और जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वहां किए गए समस्त अच्छे कर्म निष्फल हो जाते हैं ऐसे देश में जहां नारियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है एवं नदियों का भी देवियों के रूप में सम्मान किया जाता है वहीं नारियों के साथ होने वाली आपराधिक घटनाओं में बढ़ोत्तरी होना बड़े शर्म की बात है

उक्त आयोजित कार्यक्रम में पी.एल डण्डोतिया, शिक्षा अधिकारी विकासखंड सबलगढ़, विद्यालय प्राचार्य ब्रह्मानंद शर्मा, पूर्व प्राचार्य धर्मेंद्र सिंह जादौन बीईओ ऑफिस से हरिओम मरैया एवं आरक्षक धर्मेंद्र श्रीवास सहित समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा।